न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

336

R-3959-II-16

श्रीमती गिरजा सिंह पत्नी राजकुमार सिंह निवासी ग्राम बड़ागांव तहसील गुढ जिला रीवा (म0प्र0) -----------आवेदक

बनाम्

1. उर्मिला यादव पत्नी देवेन्द्र कुमार यादव
2. श्रीमती ललिता यादव पत्नी भूपेन्द्र यादव दोनो निवासी ग्राम पथरी तहसील सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0)
3. गया प्रसाद मिश्रा राजस्व निरीक्षक
4. लालबहादुर सिंह पटवारी हल्का बड़ागांव तहसील गुढ जिला रीवा (म0प्र0) --------अनावेदकगण

596
25.11.16

निगरानी बिरुद्ध आज्ञा श्री राहुल जैन कलेक्टर जिला रीवा (म0प्र0) बाबत् प्रकरण क्रमांक-38अ74/मूल/2008-09 आदेश दिनांक 08/11/2016 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ई0।

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रकिया के विपरीत है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने तृतीय व्यवहार अतिरिक्त व्यवहार

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3959–दो/2016 जिला–रीवा

श्रीमती गिरजा सिंह विरूद्ध उर्मिला यादव आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर,जिला–रीवा के प्र. क्र.38/अ–74/मूल/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 08–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 18/03/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	